न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 318 / 2016 **दायरा दिनांक : 14.09.2016**

उनवान

1— रामलाल पुत्र औंकार, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

1 / 1 मांगीबाई बेबा रामलाल, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

1 / 2 पृथ्वीराज पुत्र रामलाल, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

1 / 3 बुद्दिप्रकाश पुत्र रामलाल, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

1 / 4 मन्जूबाई पुत्री रामलाल, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

1 / 5 प्रेमबाई पुत्री रामलाल, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

1 / 6 गीताबाई पुत्री रामलाल, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

1 / 7 हेमलता पुत्री रामलाल, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

2— दुली चन्द पुत्र औंकार, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारा

3— जगदीश चन्द पुत्र औंकार, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

3/1 प्रेमबाई बेबा जगदीश, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

3/2 संजय पुत्र जगदीश, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

3/3 जानकीबाई पुत्री जगदीश, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

3/4 रणजीत पुत्र जगदीश, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

3/5 सीमा पुत्री जगदीश, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– बजरंग पुत्र शंकरलाल, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

2– जगन्नाथ पुत्र शंकरलाल, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :–

2/1 द्वारकीलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

2/2 देवलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

2/3 ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

2/4 देवकन्या पुत्री जगन्नाथ, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

3– रामीबाई पुत्री औंकार पत्नी मोतीलाल, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारा, जिला बारां

4— नारायणी पुत्री औंकार, जाति माली, पत्नी गोपाल, निवासी मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— कैलाशी पुत्री औंकार पत्नी प्रभूलाल, जाति माली निवासी, कनापुर, तहसील सांगोद, जिला कोटा

6— हजारीबाई पुत्री औंकार पत्नी नेमीचंद, जाति माली, निवासी कोटा

7— गणेश पुत्र ग्यारसीराम, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

7/1 बाबूलाल पुत्र गणेश, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

7/2 हेमराज पुत्र गणेश, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

7/3 चन्द्रकला पुत्री गणेश, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

7/4 तुलसां पुत्री गणेश, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

7/5 राजेश गणेश, जाति माली, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

8— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री मदन गोपाल केवडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजमोहन राठौड एवं श्री बालमुकुन्द गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.05.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 166/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम तिसाया तहसील बारां में आराजी कुल 23 किता की 11.05 हेक्टर स्थित है, जो विवादित है । इस आराजी का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादीगण का 1/3 हिस्सा पृथक किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.02.2012 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और दिनांक 19.05.2016 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है । जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील विभाजन की अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है और यह कथन किया गया कि निर्णय विधि विरूद्ध है । लोक अदालत में अपीलांट में से कोई उपस्थित नहीं था । मृत व्यक्तियों के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है तथा रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की गई है । जो आराजी सहखातेदार बजरंग लाल और जगन्नाथ के तन्हा खाते में थी उसको भी अंतिम डिक्री का हिस्सा बना दिया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.07.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व सी पी सी की पालना नहीं की गई है । प्रारम्भिक डिक्री की भी अनदेखी की गई है । लोक अदालत में अपीलांटगण उपस्थित नहीं थी और न ही कोई सहमति बनी थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट ऐन केन प्रकारेण प्रकरण को लम्बित रखना चाहते हैं । लोक अदालत में प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी की गई है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु लम्बित थी और इसको दिनांक 19.07.2016 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण में से बजरंग लाल, ओम प्रकाश, देव लाल के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा करवाये गये हैं । बाबूलाल व अन्य किसी के हस्ताक्षर भी है जो पठनीय नहीं है । प्रकरण में बाबू लाल पक्षकार नहीं है । समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं और इसी दिन तहसील से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है । तहसील से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं जबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । बंटवारा प्रस्ताव में प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा पृथक स्याही से नक्शे में दिखाया जाना चाहिए, इसकी पालना भी नहीं की गई है और बंटवारा प्रस्ताव आने के उपरान्त उभय पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया गया है । दिनांक 19.05.2016 को न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उन्हें आपत्ति पेश करने का अवसर दिया गया है । इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । इन तथ्यों के आधार पर जारी की गई अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसील से पुनः बंटवारा

प्रस्ताव प्राप्त कर, बंटवारा प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.08.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा